(vi) Fitment of speed limiting brackets on all the engines for reducing speed thereby reducing the smoke.

Super-power presence in the Indian Sub-Continent

*236. SHRI RATNAKAR PANDEY : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in view of the substantial reduction in Soviet troops and arms deployment in various East European countries, the US administration also propose to reduce their troop strength in various Western-European countries ; and

(b) if so, whether in view of these developments , Government have taken up with the Superpowers to withdraw/reduce their presence from the Indian Sub-continent, including theIndian Ocean; if so, what is their response thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) Yes, Sir. As part of the negotiations for reduction of Conventional Forces in Europe, both USA and the Soviet Union have reached agreement in principle for reducing their forces in West Europe and East Europe respectively.

(b) According to the available information there are no troops belonging to the Soviet Union or the USA in the countries of South Asia. As far as the Indian Ocean is concerned, the Government of India has been working consistently for the implementation of the 1971 UN Declaration of Indian Ocean as a Zone of Peace, demanding, *inter alia*, elimination of all great power military presence from the Indian Ocean area, conceived, in the context of their confrontation.

राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की सिफारिशें

*237. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने हाल में गत कुछ महीनों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में हो रही वृद्धि के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इन सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित किए जाने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री साथ में संचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन): (क) जी, हां ।

(ख) सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

क्र० सं०	सिफारिशें	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	पहाड़ी सड़कों पर तीव्र मोड़ों जैसे संभावित खतरनाक स्थानों पर सड़क संकेतों के प्रावधान के लिए प्रभावशाली अभियान	राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को एन०टी०एस०बी० द्वारा मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं ।

1	2	3
2.	शहरी क्षेत्रों में पैदल पथ के निर्माण के लिए डिजाइन संबंधी मार्ग निर्देश	बिल्कुल ऊपर जैसा
3.	नदीपथ पर सुरक्षा संबंधी पूर्व उपाय	,,
4.	नदियों और नहरों के समानान्तर चलने वाली सड़कें पर सुरक्षा संबंधी मूल संरचना उपलब्ध कराना	,,
5.	रेलवे लेवल क्रोसिंग्स के लिए पहुंच मार्ग पर ऊंचे गति अवरोधकों और ऐसे स्थानों पर ऊंची-नीची पट्टियों के प्रयोग पर रोक लगाना	एन०टी०एस०बी० ने रोक को स्पष्ट करने के लिए इंडियन रोड्स कांग्रेस कोड में एक सुधार सुझाया है । इस मामले को इंडियन रोड्स कांग्रेस को भेज दिया है जो इसे अपनी ट्रैफिक इंजीनियरिंग कमेटी के माध्यम से जांच करा रही है ।
6.	एयर मैकेनिकल ब्रेक प्रणालियों से सज्जित सभी नए मझौले और भारी वाणिज्यिक वाहनों पर स्वचालित स्लैक समायोजकों का प्रावधान ।	इसे जल-भूतल परिवहन और उद्योग मंत्रालयों द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है । चूंकि इसमें वाहन में डिजाइन परिवर्तन निहित है अतः उद्योग मंत्रालय से आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है ।
7.	बसों में उपयुक्त आपात निकास द्वारों का प्रावधान	बसों में आपात निकास द्वारों का एक डिजाइन सी० आई० आर० टी० पुणे द्वारा तैयार किया गया है जिसे सभी राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में परिचालित किया गया है और उन्हें यह सलाह दी गई है कि बस बाडियों के निर्माताओं को उनके द्वारा दिए गए आर्डरों में इस डिजाइन को शामिल करें ।
8.	बसों में अग्निरोधक गद्दियों का प्रावधान	सिफारिश को सिद्धातरूप में स्वीकार कर लिया गया है । अनुदेश जारी करने के प्रश्न पर उद्योग मंत्रालय के साथ कार्रवाई की जा रही है । एस० टी० यू० और अन्य प्रचालक आई० एस० आई० द्वारा अनुमोदित किस्म के पी०वी०सी० लेदरक्लोथ से ढके हुए गद्दों का प्रयोग कर रहे हैं । निनाइल कोटेड फैब्रिक की "क" श्रेणी की सामग्री का उनके लिए अनुमोदन

1	2	3
		किया गया है और इनका एस.टी.यू. द्वारा प्रयोग किया जा रहा है ।
9.	प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए सिमूलेटरों का प्रावधान	एन.टी.एस.बी. द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।
10.	भारत के लिए हाई वे कोड	भारत के लिए हाई वे कोड तैयार करने के लिए एन.टी.एस.बी. का सुझाव मान लिया गया है और इसको इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा तैयार किया जा रहा है ।
11.	महानगरों में यातायात के उल्लंघन रिकार्ड करने के लिए वी.सी.आर. सुविधाओं से युक्त मोबाइल वैनों का प्रयोग	एन.टी.एस.बी. द्वारा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के लिए इसका एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में सुझाव दिया गया था । दिल्ली पुलिस द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है । दिल्ली से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए अन्य महानगरों को इस प्रकार का सुझाव देने के प्रश्न पर एन.टी.एस.बी. विचार करेगा ।
12.	विभिन्न यातायात चौराहों पर ट्रैफिक सिगनलों के क्रम में एकरूपता	एन.टी.एस.बी. द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सिफारिश की गई थी । दिल्ली प्रशासन द्वारा इस बात पर सहमति दी गई थी कि कुछ अपवादों जहां विरल मामलों में आवश्यक हो को छोड़कर धीरे-धीरे एकरूपता लाई जाएगी ।
13.	दिन के समय भी मोटरयुक्त सभी दुपहिया वाहनों द्वारा हैड लाइटें जलाकर रखना	एन.टी.एस.बी. के कार्यालय में हुई बैठक में इस सुझाव पर विचार किया गया था । इस प्रस्ताव का स्वैच्छिक आधार पर परीक्षण करने का निर्णय लिया गया था । समाचार पत्रों के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने स्कूटरों और मोटर साइकिल के प्रयोक्ताओं से सुरक्षा उपाय के रूप में दिन के समय लाइटें जलाए रखने का अनुरोध किया है । इस प्रयोग के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अंतिम विचार किया जाएगा ।

1	2	3
14.	महानगरों में पुलिस गश्त वाहनों को उपयुक्त उपकरण का प्रावधान करके पुलिस गश्त वैन व मिनी एम्बुलसों में बदलना	यह सिफारिश एन. टी. एस. वी. द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में की गई थी। गश्त वैनों में पुलिस कार्मिक प्राथमिक चिकित्सा बेहोशी दूर करने की प्रक्रिया में पहले ही प्रशिक्षित हैं। राहत कार्यों की कुशलता में बढ़ोतरी करने के लिए दिल्ली प्रशासन इन वैनों में ब्रीदिंग बैग और छोटे उपकरण उपलब्ध करवाएगा।
15.	ट्रक और बस ड्राइवरों तथा कंडक्टरों की नेशनल एसोसिएशन आफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन द्वारा मौके पर होश में लाने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण सुविधाएं देना	एन.टी.एस.बी. ने यह सिफारिश सबसे पहले दिल्ली प्रशासन और दिल्ली परिवहन निगम के लिए की। इस बात पर सहमति दी गई कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूलों में ड्राइवरों को अपेक्षित प्रशिक्षण देने के लिए एन.ए.सी.सी.एम. को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा दिल्ली परिवहन निगम के कंडक्टरों को प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली परिवहन निगम इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
16.	मौके पर होश में लाने की प्रक्रिया में स्वयंसेवक को प्रशिक्षण देना जो प्राथमिक चिकित्सा करने के लिए अपने क्षेत्रों के दुर्घटना स्थल पर बुलाए जाने पर उपलब्ध होंगे।	एन.टी.एस.वी. ने सबसे पहले इस सिफारिश को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए किया था। इस बात पर सहमति हो गई है कि दिल्ली पुलिस एन.ए.सी.सी.एम. के परामर्श से उपर्युक्त विज्ञापन जारी करेगी।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना

*238. **श्री सोहन लाल धुसिया :**
श्री अजीत जोगी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में कितने दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों के स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और दूरदर्शन कार्यक्रमों को देखने का लाभ कितनी अतिरिक्त जनसंख्या को मिलने की संभावना है; और

(ख) इस योजना के कार्यान्वित हो जाने के बाद मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) मध्य प्रदेश की शेष जनसंख्या को यह लाभ कब तक मिलने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ग) सातवीं योजना के आगे लाई गई स्कीमों में अन्य योजनाओं के साथ-साथ मध्य प्रदेश में 3 उच्च शक्ति (10 कि. वाट) और एक उच्च शक्ति